गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

मांग संख्या 61

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		414.80	5.32	420.12	326.37	5.19	331.56	494.20	5.27	499.47
पूंजी		*167.45*	...	*167.45*	*167.55*	...	*167.55*	*130.05*	...	*130.05*
जोड़		**582.25**	**5.32**	**587.57**	**493.92**	**5.19**	**499.11**	**624.25**	**5.27**	**629.52**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	5.35	5.32	10.67	5.35	5.19	10.54	6.00	5.27	11.27
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत										
2. सौर ऊर्जा कार्यक्रम	2810	169.70	...	169.70	71.80	...	71.80	155.40	...	155.40
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03
	3602	4.45	...	4.45	6.45	...	6.45	5.92	...	5.92
	4810	0.05	...	0.05	0.15	...	0.15	0.05	...	0.05
	जोड़	*174.25*	...	*174.25*	*78.45*	...	*78.45*	*161.40*	...	*161.40*
3. जैव-गैस कार्यक्रम और एनबीबी	2810	48.85	...	48.85	45.90	...	45.90	40.70	...	40.70
	3601	16.10	...	16.10	15.55	...	15.55	15.30	...	15.30
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*64.95*	...	*64.95*	*61.45*	...	*61.45*	*56.00*	...	*56.00*
4. पवन ऊर्जा कार्यक्रम	2810	7.85	...	7.85	10.40	...	10.40	21.06	...	21.06
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*7.85*	...	*7.85*	*10.40*	...	*10.40*	*21.06*	...	*21.06*
5. जैव पिड कार्यक्रम	2810	18.80	...	18.80	25.40	...	25.40	24.28	...	24.28
6. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	2501	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.22	...	0.22
	2810	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	5.70	...	5.70	4.47	...	4.47	4.30	...	4.30
	3602	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*6.65*	...	*6.65*	*5.32*	...	*5.32*	*4.62*	...	*4.62*
7. ऊर्जा के अन्य स्रोत	2810	30.90	...	30.90	30.90	...	30.90	45.90	...	45.90
	3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*31.50*	...	*31.50*	*31.50*	...	*31.50*	*48.00*	...	*48.00*
8. उन्नत चूल्हे	2810	10.24	...	10.24	10.24	...	10.24	0.04	...	0.04
	3601	5.80	...	5.80	5.80	...	5.80	0.05	...	0.05
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*16.05*	...	*16.05*	*16.05*	...	*16.05*	*0.10*	...	*0.10*
9. शहरी और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा	2810	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	19.00	...	19.00
10. सरकारी उद्यमों में निवेश	4810	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	35.00	...	35.00
	6810	140.40	...	140.40	140.40	...	140.40	95.00	...	95.00
	जोड़	*167.40*	...	*167.40*	*167.40*	...	*167.40*	*130.00*	...	*130.00*
11. राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान	2810	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
12. अन्य मदें	2810	44.45	...	44.45	47.60	...	47.60	96.34	...	96.34
	3601	...	...	...	...	...	...	0.40	...	0.40
	3602	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	जोड़	*44.45*	...	*44.45*	*47.60*	...	*47.60*	*96.79*	...	*96.79*
13. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2810	32.20	...	32.20	32.20	...	32.20	45.00	...	45.00
	3601	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00
	जोड़	*34.00*	...	*34.00*	*34.00*	...	*34.00*	*47.00*	...	*47.00*
कुल जोड़		***582.25***	***5.32***	***587.57***	***493.92***	***5.19***	***499.11***	***624.25***	***5.27***	***629.52***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी	12810	167.40	456.71	624.11	167.40	362.37	529.77	130.00	476.48	606.48
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	582.25	456.71	1038.96	493.41	362.37	855.78	624.78	476.48	1101.26
2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.22	...	0.22
जोड़		**583.00**	**456.71**	**1039.71**	**494.16**	**362.37**	**856.53**	**625.00**	**476.48**	**1101.48**
मांग संख्या 82	12810	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
मांग संख्या 83	12810	0.25	...	0.25	0.24	...	0.24	0.25	...	0.25
	जोड़	*0.75*	...	*0.75*	*0.24*	...	*0.24*	*0.75*	...	*0.75*

* *शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य परिव्यय सहित।*

1. **सचिवालयः** इसमें गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **सौर ऊर्जा कार्यक्रम** : इसमें सौर-तापीय ऊर्जा कार्यक्रम और सौर प्रकाश-वोल्टीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था शामिल है और इसमें सौर-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन और विस्तार संबंधी कार्य शामिल हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ सौर-तापीय प्रणालियों के लिए उदार ऋण और सौर कुकरों के लिए उन्नयन उपायों के रूप में सहायता की व्यवस्था की गई है। सौर प्रकाश-वोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान और

विकास, कार्यक्रम, तथा विभिन्न प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों और उपकरणों का उपयोग तथा प्रदर्शन आता है। सौर लालटेनों, गृह प्रकाश प्रणाली, गली में रोशनी और सौर पंपों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। डब्ल्यू एफ/केएफडब्ल्यू की सहायता से मथानिया, राजस्थान के 140 मेगावाट आईएससीसी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए तैयारी संबंधी गतिविधियां जारी हैं और अब परियोजना द्वारा भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं। 25-100 किलोवाट एसपीवी विद्युत प्रणालियों की स्थापना द्वारा ग्रिड विद्युत की वृद्धि और संपूरणता के लिए अग्रगामी योजना जारी है। सौर-ऊर्जा केन्द्र की स्थापना अनुसंधान और विकास, परीक्षण और मानकीकरण, प्रोटोटाइप विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षण, परामर्शी तथा सलाहकारी सेवा तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से की गई है।

3. **बायोगैस कार्यक्रम** : बायोगैस कार्यक्रम का लक्ष्य भोजन बनाने, प्रकाश व्यवस्था करने और विद्युत उत्पादन के लिए स्वच्छ गैस और पशुओं के गोबर और मल से समृद्ध खाद प्रदान कराना है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम ईधन की लकड़ी के संरक्षण, रसोईघर के पर्यावरण को सुधारने और सफाई तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पादन में सहायता करता है। इस कार्यक्रम में परिवार किस्म के संयंत्र तथा अनुसंधान और विकास को लोकप्रिय बनाना शामिल है। अन्य बातों के साथ-साथ बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीबीडी) बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता और टर्नकी कामगारों और ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियनों को पहले तीन वर्षों की अवधि के लिए गुणवत्तापूर्ण बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण सेवा के लिए फीस प्रदान करता है। समुदाय संस्थान और मल बायोगैस पर कार्यक्रम दसवीं योजना के दौरान राज्य खण्ड को अंतरित कर दिया गया है।

4. **पवन ऊर्जा कार्यक्रम** : इसमें पवन विद्युत उत्पादन, पवन आंकड़ा संग्रह केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और विकास जिसमें पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी (सी-वेट) के लिए केन्द्र की स्थापना शामिल है। प्रदर्शन और विभिन्न पवन टर्बाइनों के क्षेत्रीय परीक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं।

5. **जैव-पिंड कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था का संबंध बायोमास उत्पादन पर अनुसंधान और विकास जैसी प्रौद्योगिकियों के रूपान्तरण और उपयोग से है। चीनी उद्योग में विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास आधारित सह उत्पादन कार्यक्रम शुरु किया गया है। बायोमास गैसीकरण और जैव पिंड दहन पर आधारित विद्युत संबंधी कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन में पूंजी और इन परियोजनाओं के व्यस्थापन के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

6. **एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम(आईआरईपी)**: इस कार्यक्रम का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ, भोजन पकाने, ताप पैदा करने और प्रकाश पैदा करने के लिए प्रकाश पैदा करने के लिए कम से कम घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए और पर्याषरणात्मक विचारणाओं सहित वहनीय कृषीय और ग्रामीण विकास की ऊर्जा-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना है। आईआरईपी की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन क्षमता निर्माण, आर एंड डी और प्रौद्योगिकी के अंतरण, ऊर्जा प्रणालियों और यंत्रों के रखरखाव, विस्तार, प्रशिक्षण और प्रचार तथा जागरुकता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए व्यवस्था है। राज्य क्षेत्र संघटक के अधीन, राज्य परिव्यय, लघु स्तर की आई आर ई पी परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

7. **ऊर्जा के अन्य स्त्रोत**: इसमें ईंधन कोशिका प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतल परिवहन से जैव ईंधन, प्रदूषण-भिन्न ईंधन और भूतल परिवहन के वाहन, विद्युत उत्पादन के लिए भू-तापीय ऊर्जा तथा प्रत्यक्ष ताप उपयोग और विद्युत उत्पादन के लिए समुद्रीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण की दृष्टि से साफ नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन, परियोजनाएं तथा क्रियाकलापों के अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रावधान शामिल है। बैटरी-चालित विद्युत वाहनों के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देश में कई अनुसंधान, वैज्ञानिक, शैक्षणिकसंस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग आदि में परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। इन नव प्रवर्तित और उन्नत प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रयोग निकट भविष्ट में सक्षम रूप से और पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य तरीके से ऊर्जा की आवश्यकताएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

लघु पन बिजली कार्यक्रम: लघु पनबिजली परियोजना (एस.एच.पी) कार्यक्रम का उद्देश्य नहरों/बांध आधारित झरनों, नदियों के प्रवाह और प्राकृतिक झरनों के जल संसाधनों का उपयोग करना है। ऐसी प्रणालियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन को या तो ग्रिड से या दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को सीधे आपूर्ति करने के लिए जोड़ा जा रहा है। व्यवहार्यता अध्ययन करने, विस्तृत परियोजना रिपार्ट तैयार करने और इन परियोजनाओं की संस्थापना हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जी ई एफ/ यू एन डी पी की आंशिक सहायता से ''हिमालय और उप-हिमालय कैप क्षेत्रों में लघु पन बिजली संसाधनों के इष्टतम विकास'' की एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

8. **उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम का लक्ष्य ईंधन की लकड़ी और अन्य बायोमास सामग्री के लिए उन्नत चूल्हों का संवर्धन करना, कठिन श्रम में और ईंधन की लकड़ी संग्रहित करने में और पारम्परिक चूल्हों पर भोजन बनाते समय सामने आने वाले महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों में कमी करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम दसवीं योजना के दौरान राज्य खण्ड को अंतरित कर दिया गया है।

9. **शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा**: शहरी और औद्योगिक कचरे से ईंधन व विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय शहरी, नगरपालिका और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी कार्यक्रम" शुरु किया गया है। इस योजना में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कचरे हेतु राजकोषीय व वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त," ग्रीन हाउस गैस रिसाव घटाने के साधन के रूप में उच्चदर वाली बायोमेथानेशन प्रक्रिया का विकास" संबंधी सहायताप्राप्त यू.एन.डी.पी.?जी.ई.एफ परियोजना कार्यान्वयन अधीन है।

10. **सरकारी उद्यमों में निवेश: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)** – भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना विभिन्न नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाओं और स्कीमों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। यह एजेन्सी आन्तरिक संसाधनों, इक्विटी और विदेशी एजेंसियों से धनराशि जुटाकर ऐसी परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है।

11. **राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान(एनआईआरई)**: राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि नवीकरणीय/गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, सभी स्तरों पर मानव संसाधन विकास और विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकयों के वाणिज्यिकीकरण को बढ़ावा देने की गतिविधियों से हुई और सम्बद्ध अभिसारी गति विधियां चलाने के लिए अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों के लिए कोई राज्य स्तर का अलग संस्थान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम !!? के अन्तर्गत सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय न्वीकरणीय ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रारंभिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनमें पंजाब में जालंधर-कपूरथला मार्ग पर संस्थान के भवन व प्रांगण का निर्माण शुरु किया गया है।

12. **अन्य मदें** : इनमें सूचना और प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आंकलन और डाटाबैंक (टीआईएफएडी), महिला और नवीकरणीय ऊर्जा विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा सेवाओं पर राष्ट्रीय परियोजना, ग्रामीण ऊर्जा उद्यमशीलता और संस्थात्मक विकास, परियोजना तैयारी सहायता और विपणन विकास, निर्यात संवर्धन और विशेष विकास परियोजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में गैर-पारम्परिक ऊर्जा कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण तथा मानव संसाधन विकास के लिए राज्य केन्द्रीय एजेसियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

मंत्रालय को वर्ष 1993-94 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और साधनों के अंत प्रयोग के उपयोगों के आधार पर पुनर्गठित किया गया है ताकि विद्युत उत्पादन, शहरी/नगर निगम एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन तथा बायोगैस के ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों का सार्वभोमीकरण और सुधरे हुए चूल्हे की प्रणालियां एवं विभिन्न एनआरएसई कार्यक्रमों के वाणिज्यिकरण और बाजारोन्मुखीकरण पर जोर दिया जा सके।